परिपत्र सं0. - 34/ 2017- सीमा शुल्क

फा.सं0.609/63/2017-डीबीके
भारत सरकार
वित्त मंत्राल, राजस्व विभाग
केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड
प्रतिअदायगी प्रभाग

दिनांक 9 अगस्त, 2017

सेवा में
प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त/महानिदेशक,
प्रधान आयुक्त/आयुक्त,
सीबीईसी के तहत सभी

महोदया/महोदय,

विषय: - वस्त्रों और वस्त्र निर्मित वस्तुओं के निर्यात हेतु तीन माह अर्थात् 1.7.2017 से 30.9.2017 तक की संक्रमण अवधि के लिए जीएसटी-पूर्व राज्य करों से छूट (आरओएसएल) दरों की निरंतरता ।

वस्त्रों और वस्त्र निर्मित वस्तुओं के निर्यात हेतु राज्य करों से छूट (आरओएसएल) हेतु वस्त्र-मंत्रालय (एमओटी) की योजना के कार्यान्वयन संबंधी इस मंत्रालय के परिपत्र सं0. 43/2006-सीमाशुल्क दिनांक 31.8.2016, 08/2017-सीमा शुल्क दिनांक 20.3.2017 और 28/2017-सीमा शुल्क दिनांक 6.7.2017 के प्रति ध्यान आमंत्रित किया जाता है ।

2. इस संबंध में, यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि एमओटी ने जीएसटी-पूर्व आरओएसएल दरों को बहाल किए जाने हेतु अधिसूचना सं0. 12020/3/2016-आईटी (पार्ट) दिनांक 31.7.2017 को जारी किया है जिसे 1.7.2017 से संशोधित करके कम कर दिया गया था। यह तीन महीने अर्थात् 1.7.2017 से 30.9.2017 तक की संक्रमण अवधि के लिए प्रभावी किया गया है। अधिसूचना को वेबसाइट egazette.nic.in से डाउनलोड कर अवलोकन किया जा सकता है। उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले संशोधित वचन-पत्र के आधार पर इन आरओएसएल दरों का दावा किया जा सकता है ।

3. सभी निर्यातों के लिए जिनका निर्यात आदेश 1.7.2017 को या उसके बाद है जिनके लिए आरओएसएल का दावा किया गया है, निर्यातक को संशोधित प्रारूप जिसे 5.8.2017 से ईडीआई पोत-परिवहन बिल में उचित रूप से शामिल किया जा चुका है, में वचन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह विचार करते हुए कि निर्यात 1.7.2017 से 4.8.2017 के बीच पहले से ही किए जा चुके हैं, जिनके लिए संशोधित वचन-पत्र पहले से ही दायर किए गए पोत-परिवहन बिलों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करना संभव नहीं है, निर्यातकों द्वारा इस परिपत्र में यथा संलग्न प्रारूप में सीमा शुल्क को दस्ती वचन-पत्र प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। यह निर्यातक के विभिन्न पोत-परिवहन बिलों में निर्यात उत्पादों को समाविष्ट करने वाला एकल वचन-पत्र हो सकता है। संशोधित वचन-पत्र पहले से दिए गई घोषणा/वचन-पत्र, यदि कोई हो, के बावजूद होगा ।

4. एमओटी में आयोजित चर्चाओं के संदर्भ में, निर्यात प्रोत्साहन परिषद निर्यातकों को ऐसे वचन-पत्र को दाखिल करने में मदद करेगी। आरओएसएल को मंजूरी देने वाले अधिकारी/यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे वचन-पत्र पर ही राशि का भुगतान किया जाए। निर्यातकों को भी इस अवधि के लिए शीघ्र ही अपने वचन-पत्र को दाखिल किए जाने हेतु सीमा शुल्क द्वारा उचित रूप में सलाह दी जाए।

5. यह ध्यान दिया जाए कि एमओटी द्वारा यथा अधिसूचित आरओएसएल की दरें आरओएसएल हेतु स्क्रॉल विनिर्माण के समय ईडी आई प्रणाली द्वारा लागू की जाएंगी। इस प्रकार पोत-परिवहन बिलों में दर्शाई गई आरओएसएल धनराशि के बावजूद, निर्यातक एमओटी द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार आरओएसएल धनराशि के पात्र होंगे। निर्यातक द्वारा अलग से किसी दावे को फाइल किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

6. व्यापारियों और अधिकारियों के मार्गदर्शन हेतु समुचित सार्वजनिक सूचना और स्थायी आदेश जारी किए जाने चाहिए। किसी भी कठिनाई का सामना करने पर बोर्ड को सूचित किया जाना चाहिए ।

संलग्न. उपरोक्त।

भवदीय,

(दिपिन सिंगला)
विशेष कार्य अधिकारी (प्रतिअदायगी)
Tel. 23341480

अनुबंध

<u>1.7.2017 से 30.9.2017 तक प्रभावी राज्य करों से छूट दर का दावा किए जाने वाली रियायत हेतु वचन-पत्र</u>

मैं/हम, मैसर्स ....., आईईसी नंबर ..... और पता ..... एक वचन-पत्र देता हूँ/ देते हैं कि पोत-परिवहन सं0.....दिनांक ..... के अंतर्गत आने वाले निर्यात उत्पादों के संबंध में जिन पर राज्य करों से छूट (आरओएसएल) दर का दावा किया गया है, मैंने किसी भी अन्य तंत्र के तहत इन विशिष्ट राज्य करों और राज्य माल तथा सेवा कर और/या एकीकृत माल और सेवा कर का ऋण/ छूट /पुनरअदियगी/प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है अथवा नहीं करूंगा और मैं दावा की गई छूट हेतु पात्र हूँ । इसके अलावा, घोषित करता हूँ कि कार्यस्थल पर महिलाओं का लेंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुपालन मे, जहां लागू हो, एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन कर लिया है ।

निर्यातक के हस्ताक्षर, तिथि और मोहर